SALE NOTICE

FIRESTAR DIAMOND INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
(IN LIQUIDATION)
LIQUIDATOR: Mr. SANTANU T RAY
Liquidator's address: 144- B, 14th Floor, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai 400021.
Email: liquidator.firestardiamond@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.in,
santanutray@aaainsolvency.com
Mobile: Mr. Puneet Sachdeva (8800865284) / Mr. Vaibhav Mohnot (022-42667394)/ Liquidator 9167086977
E-AUCTION
Sale of Assets under Insolvency and Replanator Code, 2016

E-AUCTION

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 29.03.2024 between 03.00 pm to 05.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each)
Last date for submission of Eligibility Documents by interested bidders with all the Annexures: 08.03.2024
Intimation by Liquidator's team to the qualified Bidders: 13.03.2024
Last date for due diligence of assets of under auction: 20.03.2024

Last date for submission of EMD & additional documents on 27.03.2024 by the end of day.

ale of Assets and Properties owned by Firestar Diamond International Private Limited (in Liquidation) forming part of Li idation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide ord ated 26th February 2020. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.ne

Asset Price (In Rs.) Amount (In Rs.) Value (In Rs.) 449 Equity Shares (99.77% stake) in the shareholding owned by Firestar Dia-mond International Private Limited of Rhythm House Private Limited ("RHPL"), 53,16,25,000/- 5,31,62,500/- 5,00,000/

he details of all the assets along with any pending legal cases/ on-going litigations/ eviction notices have been disclosed the E-Auction process document and are to be mandatorily seen before participating in the auction.

NOTE:- 1) The Corporate Debtor holds 449 Equity Shares of Rhythm House Private Limited (subsidiary of Corporate Debto hence, it forms part of the liquidation estate of Corporate Debtor.

2) Corporate Debtor has advanced a loan of Rs. 19,62,31,587/- to Rhythm House Private Limited as long-term loan to sub sidiary and the same is repayable by RHPL to FDIPL. The bidders are hereby informed that post the receipt of the total Sal onsideration the amount equivalent to the loan shall be appropriated as repayment by RHPL to FDIPL and the Loan will be ssigned to the Buyer by way of a deed of assignment. The balance amount of the bid shall be taken as consideration or the purchase of Shares of FDIPL in RHPL and the share transfer will be executed by the liquidator in favor of the buyer.

For the detailed information, please refer to the detailed E-Auction Process Document.

It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation or the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the cess and / or not to accept and / or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reas

As per the Paragraph 12 of Schedule I of IBBI (Liquidation Process), Regulations, 2019,"On the close of the auction the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within ninety days: Provided that payment made after thirty days shall attract interest at the rate of twelve per cent.: Provided further that the sale shall be can celled if the payment is not received within the period provided under this clause

spection: Interested parties will have to take prior appointment via email by providing the details as mentioned in the process documents for bidders to be eligible to participate in the auction. They will also have to provide the name, KYC and Author ization Letter in favor of not more than two persons who will visit the underlying assets for inspection. On receipt of the mail and after verification of the documents, the liquidator's team will give an appointment to the interested bidder for inspection and the interested bidder must be present on the appointed date at the appointed time. It must be noted that no walk-in re uests will be entertained. No inspection would be granted after 20.03.2024.
The E-Auction will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through

pproved service provider M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger). All the terms and conditions of the uction are mentioned in a detailed document available at https://insolvencyandbankruptcy.in.public-announcement/firestar mond-international-private-limited/ and at the website of the e-auction service provider: https://aaa.auctiontiger.net.

or in the matter of Firestar Diamond International Private Limited IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00360/2017-2018/1105 ldress: 144 B, 14th Floor, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai – 400021.Email: liquidator.firestardiamond@aaainsolvency.coi assetsale1@aaainsolvency.in, santanutray@aaainsolve Contact Person: Mobile: 8800865284 (Mr. Puneet Sachdeva) /Mr. Vaibhav 022-42667394/ Liquidator 9167086977



MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO — U59922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: Ankit Goel - 7008254155.

PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 in exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act. 2002. the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further it has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers

Sr. No.		Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1	LAN No.: 18101076952 & 18101079032 & 18101087837 & 18101106540, 1. Komal Bai Pal, 2. Gulshan Pal, 3. Raju Pal	Symbolic Possession - 24-January-2024	Rs.3,16,888.19/- & Rs.1,43,088.27/- & Rs.1,39,311.24/- & Rs.1,33,034.92/- as on 07-February-2024	Rs. 12,50,000/-	Rs. 1,25,000/-

Description of property: ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEING PLOT SITUATED IN WARD NO.9, HARANIYA OBAIDDULLAGANJ TEHSIL GAUHARGANJ DISTRICT - RAISEN MADHYA PRADESH WHOSE SIZE IS 20 X 30 FEET PLUS 600 SQUARE FEET I.E. 55.76 SQUARE METERS KHASRA NO.68, AREA 0.30 ACRE, 1.81 GRAM OBAIDBULLAGANJ P.H.N. 8, TEHSIL GAUHARGANJ DISTRICT RAISEN MADHYA PRADESH

BOUNDED BY:- NORTH: - AAM RASTA, WEST: - REMAING PART OF SELLER PROPERTY, EAST: - PLOT OF SMT. RAM BAI, SOUTH: REMAING PART OF SELLER PROPERTY LAN No.: 18101102368 Symbolic Possession Rs.2.24.603.21/-

 Jitendra Mehar Alias Jitendra Mehra
 Madhu, 3. Rakesh Kumar Description of property: ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING BEING PLOT NO – 37, WHICH IS PART OF KHASRA NO 45/1, SITUATED IN VILLAGE KAROND KALAN (LANES), TEHSIL – HUZUR, DISTRICT - BHOPAL, WHICH IS WITHIN THE LIMITS OF

MUNICIPAL CORPORATION, WARD NO. 66, MADHYA PRADESH – 462038, BOUNDARY OF PLOT ARE: - EAST: - 7.5 FEET WIDE ROAD AND TEMPLE, WEST: - HOUSE OF MASTER SAHEB OF SHYAMPUR SEHORE, NORTH: - PROPERTY OF JAIN SAHIB AND HOUSE OF MASTER, SAHEB OF SHYAMPUR SEHORE, SOUTH: - OTHER HOUSE CHATWALA, AREAADMEASURING IS 20 FEET BY 30 FEET EQUAL TO 600 SQ. FEET I.E. 55.76 SQ. METERS

Inspection Date & Time: 11-March-2024 & 12-March-2024 at 10.00 AM to 05.00 PM Auction Date: 28-March-2024 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 27-March-2024

Place of Sale: Plot No. 61, Zone li, M P Nagar, Behind Axis Bank Loan Centre, Bhopal - 462011

Place of Sale: Plot No. 61, Zone Ii, M P Nagar, Behind Axis Bank Loan Centre, Bhopal - 462011

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:—1)

1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ lender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is whatis" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attact a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs. 10000/- in addition to Reserve Price fixed, 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance/ Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of th nortgagor(s) in particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty.

The borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESIACT. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days' time else it will be removed from property on their risk and cost.

Place: Madhya Pradesh, Date: 23-February-2024

Sd/- Authorised Officer - For Muthoot Housing Finance Company Limited



Bandhan Bank Limited Registered Office:
DN 32, SEC–V, Salt Lake City, Kolkata-700091

APPENDIX IV [Rule - 8(1)]

POSSESSION NOTICE

(FOR IMMOVABLE PROPERTY)

The undersigned being the Authorised Officer of Bandhan Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter the said Act") and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest" (Enforcement) Rules, 2002, (hereinafter the "said Rules") issued a demand notice dated November 4, 2023 bearing reference no. Ref: BBL/SAMRV/23-24/123 under Section 13(2) of the said Act calling upon the Borrowers/Guarantor/Mortgagor M/s ARK Steel Sales (Borrower). Address: Kh No. 200/5/2 Gram Bhawarsala. Tehsil-Sanwer, Indore, M.P. 452001, Mr. Kapil Bhawsar (Proprietor/Guarantor/Mortgagor), Address: S/o Kailash Chandra Bhawsar: Ward No. 01, 35/2-B. Airport Road, in front of Saint Peters Higher Secondary School. Nagin Nagar, Indore, M.P.-452005. Mr. Preeti Bhawsar (Guarantor), Address: W/o Kapil Bhawsar, Ward No. 01, 35/2-B, Airport Road, in front of Saint Peters Higher Secondary School, Nagin Nagar, Indore, M.P.-452005 to repay the amount mentioned in the notice being is ₹ 2,11,14,884.35 (Rupees two crore eleven lakh fourteen thousand eight hundred eighty four and thirty five paise only) as on August 24, 2023 payable with further applicable interest, penal interest, charges, etc. on and from August 25, 2023 thereafter as per the agreed terms within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken constructive possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 19th day of February of the year 2024.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bandhan Bank Limited for an amount of ₹2,11,14,884.35 (Rupees two crore eleven lakh fourteen thousand eight hundred eighty four and thirty five paise only) as on August 24, 2023 and interest thereon.

The Borrower's/Guarantor's/Mortgagor's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of immovable property

All that piece and parcel of: Self-occupied industrial property situated at Plot No. 05 (East & West part), Survey No. 200/5/2 Paiki, Vill. Bhawarsala, Tehsil-Sanwer, Dist-Indore, M.P.-453555; admeasuring total area of 8675 (3425+5250) sq.fts., owned by Mr. Kapil Bhawsar.

Roundaries as per TSR 9. Title Dood

Date: February 19, 2024 Place: Indore, Madhya Pradesh

boundaries as per 13 No. Title Deed.						
S. No.	Particulars	Plot No. 05, East Part	Plot No. 05, West Part			
1	On or towards the North by:	Road	Road			
2	On or towards the South by:	Land of Mr. Goyalji	Land of Mr. Goyalji			
3	On or towards the East by:	Plot No. 04	Remaining part of this plot			
4	On or towards the West by:	Remaining part of this plot	Land of Survey No.22/5/2			

together with (i) all present and future, buildings, structures of every description which are standing, erected or attached to the aforesaid premises or any part thereof and all rights to use common areas and facilities and incidental thereto, together with all present and future liberties, privileges, easements and appurtenances whatsoever to the said premises or any part thereof or usually held, occupied or enjoyed therewith or expected to belong or be appurtenant thereto; and (ii) all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, and such movable parts as they may comprise of.

Authorised Officer

Bandhan Bank Limited

TENDER CARE —

Advertorial

GMDC BOARD APPROVES INR 3,041 CR CAPITAL OUTLAY FOR FY25

GMDC is proud to announce the Board's approval of an INR 3,041 cr capital outlay for the fiscal year 2025, reinforcing our commitment to substantial growth and sustainable development in the mineral sector. With a keen focus on advancing our strategic priorities, this budget allocation will propel GMDC into a new era of innovation and industry leadership.

With a strategic allocation of INR 1,138 cr towards new lignit e projects, GMDC reinforces its commitment to the cornerstone of our mining operations. This investment will catalyze the enhancement of our existing lignite projects while also facilitating the development of new ventures, thereby ensuring our continued leadership in the sector.

GMDC dedicates INR 629 cr to expedite the operationalization of the allotted coal blocks in Odisha. This initiative is pivotal in our strategy to harness the potential of early mine development, thereby contributing to the region's industrial prosperity and the nation's

"Our approved capital outlay for the next five years is a testament to GMDC's robust financial health and our optimistic outlook towards the future. These investments are pivotal in our journey towards achieving long-term growth, operational excellence, and sustainability. We are confident that this strategic capital allocation will create substantial value for our stakeholders Shri Roopwant Singh, IAS, Managing Director, GMDC.

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED



Dr. K Jayachandran, Director (Technical) FACT, receiving the M. K. K. Nayar Memorial Productivity Award for FACT in the category of Very Large Industries from Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Director General, National Productivity Council. Shri R Manikuttan, FACT Executive Director (Production Coordination), Shri R Dileep, Chief General Manager, FACT Udvogamandal Complex, Shri M Mohanchandran, Chief General dManager, FACT Cochin Division are also seen.

BANK OF INDIA ELEVATES FARMING FUTURES WITH EXCLUSIVE FESTIVE FINANCE OFFERS

Bank of India has launched an exciting festive offer on two impactful schemes - Farm Mechanization and Krishi Vahaan - valid until 31 March 2024. These initiatives are aimed at addressing a significant challenge faced by farmers and agri entrepreneurs – gaining access to essential financial aid.

The Krishi Vahaan and Farm Mechanization loans from the Bank offer a seamless term loan solution for financing various agricultural essentials, including farm machinery, implements and transport vehicles. The Krishi Vahaan loan is particularly noteworthy, covering up to 90% of the ex-showroom price of the vehicle and, importantly, requires no collateral for loans up to INR25 lakh for farmers and up to INR1 crore for agri entrepreneurs. For farm machinery, loans are available up to 85% of the

GROUND BREAKING CEREMONY@4.0 SETS STAGE FOR INVESTMENT AND **EMPLOYMENT, UPSIDA TO BOOST INDUSTRIAL INVESTMENT IN THE STATE**

Uttar Pradesh solidified its commitment to fostering investment and employment opportunities with the inauguration of the Ground Breaking Ceremony@4.0, graced by the presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on February 19th,

at the Indira Gandhi Pratisthan

in Lucknow. The ceremony, a hallmark event in Uttar Pradesh's journey towards economic prosperity, saw the initiation of various invest-



projects ment aimed at bolstering the industrial landscape of the region. Highlighting the occasion, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath conducted the bhoomi pujan of Ashok Leyland's forthcoming electric vehicle factory in the UPSIDA Industrial area Saroiini Nagar Extension-1 industrial area

In attendance were esteemed dignitaries including Finance Minister Shri Suresh Kumar Khanna, Industrial Development Minister Shri Nand Gopal Gupta Nandi, Industrial Development Commissioner Manoj Kumar Singh, CEO UPSIDA Shri Mayur Maheshwari, and representatives from the Hinduia Group.

Chief Minister Shri Yogi Adityanath lauded the initiative. remarking, "The establishment of Uttar Pradesh's inaugural electric vehicle plant through Ashok Leyland marks a significant milestone for the state." He extended his congratulations to UPCIDA and the Hinduja Group for their unwavering commitment to progress.

Emphasizing Uttar Pradesh's investor-friendly policies, CM Yogi stated, "Our state prioritizes an environment conducive to investment. He reaffirmed the government's dedication to extending comprehensive support to investors and entrepreneurs, extending the vision of prosperity beyond the borders of Uttar Pradesh to encompass neighboring regions such as Bihar, Madhya Pradesh, and Nepal

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK'S 18th FOUNDATION DAY CELEBRATION

Bangiya Gramin Vikash Bank celebrated its 18th Foundation Day on February 21, 2024, at the Collectorate Club Community Hall in Berhampore, Murshidabad. The event was a vibrant reflection of the bank's commitment to rural




development and its significant contributions to various segments

Shri Sumant Kumar, Hon'ble Director BGVB, Sri Raman Kumar Singh, Hon'ble ACVO, PNB, Sri Kuldeep Singh Rana, Hon'ble General Manager, Agriculture Division, PNB and Mr. Joseph

Lawrence Tobias, Hon'ble Chairman, BGVB were some of the

dignitaries, present during the event.

Markets, Insiaht Out



Markets, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> **Business Standard Insight Out**



मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

७९. _ . पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुबूट सेंटर, पुन्तेन रोड, तिरुवननपुरम-695 034 सीआईएन सं. : U65922KL2010PLC025624, कॉर्पोरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजी,

सम्पर्क व्यक्ति : अंकित गोयल - 7008254155

सार्वजनिक सूचना : सम्पत्ति की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों के प्रयोग में मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि. (इसके पश्चात ''कम्पनी'' सन्दर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने अधोलिखित सम्पत्तियों (इसके पश्चात ''प्रतिभूत आस्ति'' सन्दर्भित) का कब्जा कर लिया

12,50,000/

से	है और निम्नलिखित ग्राहकों (इसके पश्चात ''कर्जदार'' सन्दर्भित) को स्वीकृत गृह ऋण सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूत के रूप में धारित किया है तथा कर्जदारों से अधिबकाये के अन्तिम भुगतान पर उस पर भावी ब्याज एवं व्ययों सहित नीचे वार्णित प्रतिभूत ऋण के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित कर- के '' <mark>जहाँ है जैसे है,'' ''जो है यहीं है'' ''जैसा है वैसा ही है'' तथा ''उपचार रहित''</mark> आधार पर प्रतिभूत आस्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।								
क्र. सं.	कर्जदार का नाम तथा लैन	कब्जे का प्रकार तथा तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) प्रयोज्य भावी ब्याज	आरक्षित मूल्य	ईएमडी				

सम्पत्ति का विवरण: संपत्ति प्लॉट वार्ड क्रमांक 9 में स्थित का समस्त भाग, हरनिया ओबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला - रायसेन मध्य प्रदेश जिसका आकार 20 X 30 फीट प्लस 600 वर्ग फीट यानी 55.76 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 68, क्षेत्रफल 0.30 एकड़, 1.81 ग्राम ओबैदबुल्लागं पी.एच.नं. ८. तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश

- आम रास्ता, पश्चिमः - विक्रेता की संपत्ति का शेष भाग, पूर्वः -

लैन नं. : 18101102368 1. जितेन्द्र मेहर उर्फ जितेन्द्र मेहरा, 2. मधु, 3. राकेश कुमार 1,00,000

हुजूर, जिला - भोपाल में स्थित है, जो नगर निगम की सीमा के भीतर, वार्ड नं. 66. मध्य प्रदेश - 462038. भखंड की सीमाएँ हैं: सीहोर के मास्टर साहब का घर , दक्षिण: - अन्य सदन चटवाला, क्षेत्रफल 20 फीट 🗴 30 फीट 600 वर्ग फीट यानी 55 76 वर्ग मीटर

निरीक्षण की तिथि एवं समय : 11 मार्च, 2024 तथा 12 मार्च, 2024 को 10.00 बजे पर्वा, से 05.00 बजे अप, ाराखान का ताज व तपना : 11,14, 2024 को 12 मान, 22 की 10,500 मान पूर्वी त उपार कर विस्तित है। निलामी की तिथि : 28 मार्च, 2024 को 10,00 बजे पूर्वी से 03,00 बजे अप. तथा बोली जान करने की बिक्री का स्थान : प्लॉट नं. 61, जोन II, एम.पी. नगर, एक्सिस बैंक लोन सेंटर के पीछे, भोपाल-462011

इच्छुक संविदाकार उपर्युक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते : (1) बिक्री सरफैसी अधिनयम, 2002 के तहत मौजदा दिशा–निर्देशों के अनसार यहां नीचे उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के कटोर अनपाल में तथा इच्छुक संविदाकारों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी।(2) सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे हैं 'जो है यहीं है''''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर ऋणभार, यदि कोई हो, सहित की जायेगी। (3) नीलामी के तहत संपत्तियों का निरीक्षण ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय पर किया जा सकता है। संपत्तियों के निरीक्षण या निविदाएं प्रस्तत करने के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कपया उपरोक्त संपर्क नंबरों पर संबंधित स्थानों प प्राधिकत अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें। इच्छक खरीदार उपरोक्त संपत्ति के लिए अपने प्रस्ताव एक सीलबंद कवर में 'मथट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में, मंबई में देय आरक्षित मुल्य का 10% जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेज सकते हैं। (4) प्रस्ताव के साथ इच्छुक संविदाकार आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, संविदाकार का पहचान पत्र तथा आवास के प्रमाण की प्रति जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी संलग्न करेंगे। (5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा। (6) नीलामी में उपस्थित संविदाकारों को निर्धारित आरक्षित मृल्य के अतिरिक्त अपनी संविदा रु. 10000/– वे गुणक में बढ़ाने की अनुमति होगी। (7) सभी बकाये तथा व्यय जैसे निगम कर, रखरखाव/समिति प्रभार, बिजली तथा पानी के कर या स्टैम्प इयुटी, पंजीकरण प्रभार, अन्तरण प्रभा -तथा कथित सम्मत्तियों के परिप्रेक्ष्य में विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण से सम्बन्धित अन्य व्यय एवं प्रभारों का भुगतान सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा किया जायेगा। (8) सफल संविदाकार को क्रय राशि का 25% (पर्वप्रदत्त ईएमडी को समायोजित करके) बिक्री के परिप्रेक्ष्य में अधिकत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकित के 2 कार्यकारी दिनों के भीतर जमा करना होगा जिसमें असफल होने पर जमा की गयी धरोहर राशि जब्द कर ली जायेगी। (9) विक्रय मूल्य का शे, 75% राशि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचन के 15 दिनों के भीतर या अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेकानुसार तथा लिखित में यथासहमत विस्तारित अवधि तक जमा करनी होगी। (10) अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेकानु बिना किसी पूर्व सचना के बिक्री की इस सचना के किसी भी नियम एवं शतों को परिवर्तित करने का अधिकार रखते हैं। (11) प्राधिकत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किस भी/सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियां मेसर्स मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ किर्स भी दायित्व/दावे के बिना उन्हें वापस कर दी जाएंगी। (12) कर्जदार का ध्वान प्रतिभृत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। (13) सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ता विशेष रूप से कपया ध्यान दें कि यदि यह निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभत ऋणदाता निजी सींध के माध्यम से बिक्री के माध्यम से प्रतिभृति हित प्रवर्तित कर सकता है।

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को सरफेसी अधिनियम के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) और 9 के तहत वैधानिक 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है कर्जदारों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर संपत्ति से अपना अनारक्षित सामान हटा लें अन्यथा इसे उनके जोखिम और लागत पर संपत्ति से हटा दिया जाएगा ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड थान : मध्य प्रदेश, तिथि : 23 फरवरी, 2024

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. ७, दूसरी मंजिल, क्वालिटी बिजिनेस सेंटर, एमपी नगर,

98 और 99 का समस्त भाग, बंदोबस्त

23/79, पुराना भूाम खसरा नब

412/342/1 और नई भूमि खसरा नंबर

412/342/1/1/1/1 का हिस्सा, ग्राम

कठौंदा. न्य एपीजे अब्दल कलाम वार्ड

क्रमांक 74, तहसील पुराना पनागर, न्यू

अधारताल. जिला जबलपर. मध्य प्रदेश

संपत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर

37 का समस्त भाग, एन.बी.नं. 502

412/342/1 और नई भूमि खसरा

कठौंदा, आर.एन.एम महाराजपुर न्यू

माढ़ोताल, नगर निगम जबलपुर, पुराना

दादा ठनठन पाल वार्ड नं. 72, न्यू

एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक

74, तहसील पुराना पनागर, न्यू

आधारताल, जिला जबलपुर, मध्य

- कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट

प्रदेश 482002.

पूर्व: साइड रोड

पश्चिम: गुप्ताजी का घर,

उत्तरः विक्रेता की भूमि,

सीमाएं :

नंबर

कुल माप 2000 वर्ग फुट

पश्चिम: गुप्ताजी का घर,

उत्तरः विक्रेता की भूमि,

दक्षिण: पांडेजी की भिम

का हिस्सा. पटवारी

23/79, पुरानी भूमि खसरा

नंबर 412/342/1/1/1/1,

482004

सीमाएं :

पूर्वः साइड रोड

नंबर 502. पटवारी हल्का

पंजीकत कार्यालय :कार्यालय सं. 123. अनगप्पा नाइकेन स्टीट, चेन्नई-600 001.

जोन-II, भोपाल-462 011 वेबसाइट : www.shriramhousing.in

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता ग्रहण

की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज

तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-

पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत

प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित

कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक

आकिस्मक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने

को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर सूचनाएँ भेजी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13

धन लगाने को तैयार नहीं निजी पूंजी

नई दिल्ली. 22 फरवरी

■रत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि निजी पूंजी ऊर्जा में बदलाव की प्रक्रिया में धन लगाने से जुड़े जोखिमों और अवसरों को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसे जोखिम मक्त करने के लिए बहपक्षीय एजेंसियों या सरकारों द्वारा जोखिम की लागत को इसमें शामिल करना पड़ सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित रायसीना डॉयलाग 2024 में अपने संबोधन के दौरान नागेश्वरन ने यह बात कही।

जी-20 की भारत की अध्यक्षता में बनी स्वतंत्र विशेषज्ञों के समृह की सिफारिशों के मुताबिक निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को काम करने का अनुरोध करते हुए सीईए ने कहा, 'ऊर्जा में बदलांव और जलवाय परिवर्तन की जरूरतों के लिए धन जुटाने को लेकर बहुत बातचीत हुई है। लेकिन हकीकत तो यह है कि बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं।'

नागेश्वरन ने कहा कि भारत द्वारा जारी सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड के यील्ड

मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने ऊर्जा क्षेत्र पर कहा



 ऊर्जा में बदलाव के जोखिम को दूर करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों को जोखिम लागत पर करना होगा विचार

 ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन के लिए धन जुटाने पर बात तो बहुत होती है, लेकिन वह सिर्फ बातें ही रह जाती हैं

 ग्रीन बॉन्ड की पात्र परियोजनाओं की पहचान और रेटिंग पाने के लिए तमाम कवायदों व किए गए खर्च का नहीं निकल रहा उचित परिणाम

 यह समझने की जरूरत है कि देशों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बनाम ऊर्जा परिवर्तन का मसला भी अहम

 भारत जैसे देशों में ऊर्जा परिवर्तन के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या

पर डिस्काउंट महज एक या दो आधार अंक है। उन्होंने कहा, 'ग्रीन बॉन्ड के मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं की पहचान करने और रेटिंग पाने के लिए की गई सभी कवायदों और किए गए खर्च का परिणाम एक या दो आधार अंकों के रूप में आता है।

सीईए ने कहा कि इस समय वित्तीय संसाधनों से ज्यादा जरूरी है। कि फाइनैंसरों व विकसित देशों को पेरिस समझौते की ओर जाएं और याद रखें कि यह सामान्य, लेकिन अलग तरह की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वीकार करने की जरूरत है कि हमारे देशों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सनिश्चित करने बनाम ऊर्जा बदलाव करने को लेकर आर्थिक मसला भी इससे जड़ा हुआ है।

नागेश्वरन ने यह भी उल्लेख किया कि निजी पूंजी आकर्षित करना और वास्तविक धन प्राप्त करना प्राथमिक रूप से कठिन है.

क्योंकि तकनीकी अभी व्यापक रूप से अप्रमाणित बनी हुई है और संसाधनों के लिए एक या कुछ देशों पर निर्भरता भी एक चुनौती है।

बहपक्षीय एजेंसियों विकसित देशों द्वारा मिले जले वित्तपोषण पर जोर देते हुए नागेश्वरन ने कहा, 'सभी देशों का नेट जीरो की तरफ बढ़ना भी एक चुनौती है क्योंकि इससे समस्या बढ़ती है। विडंबना यह है कि निजी संसाधन प्राप्त करना बहत कठिन है।' उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा के जोखिम का बोझ कौन उठाएगा, इसकी व्यवस्था नहीं बन सकी है। उन्होंने कहा, 'इनमें से तमाम सवालों के ब्योरों पर अभी फैसला नहीं हो सका है। जब आप इन चीजों पर खर्च करना शुरू करते हैं तो जीवाश्म ईंधन से जुड़ी कुछ शिकायतें वैकल्पिक ईंधन पर भी लागू होती हैं।'

नागेश्वरन ने कहा कि उदाहरण के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अन्य विकल्पों की तुलना में ज्यादा जमीन की जरूरत होती है। सीईए ने कहा, 'हमारे जैसे देश में, जहां जी-20 देशों की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, इसकी लागत बहत ज्यादा हो जाती है।'

उन्होंने कहा कि पूंजी आकर्षित करने या जोखिम कम करने के तरीके पूरी तरह पारदर्शी होने चाहिए। नागेश्वरन ने कहा, 'जब कर्जदाता और कर्ज लेने वाले के बीच सूचनाएं पूरी रहेंगी और सही आर्थिक लागत पता रहेगी तो धन आने लगेगा।'

सीईए ने यह भी कहा कि छोटे और मझोले उद्यमों के कंधे पर उत्सर्जन संबंधी दायित्वों का बोझ डाले जाने से पहले उन्हें अनुकूलन के लिए वक्त दिया जाना चाहिए।

वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में 'गतिरोध'

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 22 फरवरी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली 'गतिरोध' का सामना कर रही है और राष्ट्रों के गठजोड़ नई वास्तविकता को गढ़ेंगे। जयशंकर ने रायसीना डॉयलॉग

की पैनल परिचर्चा में कहा कि व्यापार से जुड़े वैश्विक नियमों में गड़बड़ियां हुई हैं। जयशंकर ने सालाना बहुपक्षीय भुराजनीतिक कॉन्फ्रेंस में कहा, 'कई देशों ने अपने लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का इस्तेमाल किया है। इससे हमारे समक्ष आजकल कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं।' जयशंकर ने बहुपक्षीय प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 50 देश थे लेकिन आज इसमें देशों की संख्या चार गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो। मंत्री ने कहा कि बहुपक्षवाद में 'सामान्य मुद्दों पर सबसे कम ध्यान' दिया जाता है और देशों अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल जोड़-तोड़ व प्रतिस्पर्धाएं करते रहेंगे।

मंत्री ने कहा कि बीते दशक में अनेक देशों के समृहों और वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की गई लेकिन इनसे बहुपक्षवाद कमजोर हुआ है। उदाहरण के दौर पर भारत

देशों के गठजोड़ नई वास्तविकता को गढेंगे



 विदेश मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से चुनिंदा देश वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करते रहे हैं

 कई देशों ने अपने लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का इस्तेमाल किया है और इससे हमारे समक्ष आजकल कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं

विभिन्न क्षेत्रों में 36 विभिन्न मंत्री यूसुफ मकाम्बा ने कहा कि वैश्विक गठजोड़ और समूहों का भारत द्वारा वृद्धिशील समझौते किए हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'वहां पर जाने से नया सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी और यह ग्लोबल साउथ के गतिरोध पैदा हो गया है। लिहाजा हरेक अपने हिसाब से काम कर रहा लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा, 'इनसे उचित परिणाम मिल रहे हैं है, अपने दोस्तों को ढूंढ़ रहा है, अपना समूह बना रहा है, अपने ही मुद्दों को उठा रहा है और नई वास्तविकताएं गढ रहा है। लिहाजा उचित होगा। वहां कम संयम व अनुशासन होगा। वह कई हिस्सों में बंटा होगा लेकिन कारगर होगा।' मंत्री ने कहा कि देशों को धीरे-धीरे करके समह बनाने होंगे और इनसे बदलाव आएगा।

और हमारे (ग्लोबल साउथ) लिए कारगर भी हैं। हो सकता है कि नया सिस्टम नए ब्लॉक बनाएगा जो इस परिचर्चा में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर बिन गर्गश ने कहा कि यूक्रेन संकट के दौरान कई वीटो का इस्तेमाल हुआ। यह आम

सहमति में अभाव को दर्शाता है और

प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए

वैश्विक प्रणालियां कारगर नहीं

होंगी। उन्होंने कहा, 'इस सिस्टम का

क्षरण हो चुका है। कुछ नया करने

नीदरलैंड के विदेश मंत्री हैंके ब्रइन्स स्लॉट ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में और देशों को शामिल करने का आह्वान किया।

बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज

की हमारी क्षमता कम हो रही है।'

पश्चिम का घटता प्रभाव

क्विरोगा ने कहा कि दक्षिण अमेरिका के साथ कारोबार के संबंध में अमेरिका और युरोप के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी संसद के माध्यम से व्यापार समझौता नहीं कर सकते हैं। अब ट्रंप नहीं हैं लेकिन यह अमेरिकी की संसद कांग्रेस का काम करने का तरीका है। हमने दक्षिण अमेरिका में यूरोप से व्यापार समझौते के लिए मानवता के इतिहास में सबसे अधिक समय 25 वर्ष तक बातचीत की है। यह अभी भी नहीं हो पाया है। चीन व्यापार के लिए तैयार है। चीन दक्षिण अमेरिका से ऊर्जा और खाद्य सामग्री खरीद रहा है।' जयशंकर ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भी रूस के साथ घनिष्ठ संबंध पर कहा कि भारत को अमेरिका के साथ साझा आधार नहीं 'आज के इस मुद्दे से हर कोई सहमत होगा कि कुछ कल्पना है। प्रतिस्पर्धा वास्तविक तथ्य है। कैम्प पॉलिटिक्स असलियत है।'

10 वर्षों में वृद्धि दर 6 से 8 फीसदी रहने का भरोसा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गरुवार को विश्वास जताया कि भारत अगले 10 वर्षों में लगातार छह से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि घरेल तथा वैश्विक बाजारों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक कंपनियों को देश में आमंत्रित किया जा रहा है।

रेल, संचार व आईटी मंत्री वैष्णव

ने 'रायसीना डायलॉग 2024' में कहा कि भारत दुनिया और नए विचारों के लिए खुला है। उन्होंने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दर से लगातार बढ़ रही है। अगले 10 वर्षों में भारत लगातार छह से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ता रहेगा... मैं बेहद विश्वास के साथ यह कह सकता हूं।' वैष्णव ने नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा लाई गई विकास पहलों को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके लिए आधारशिलाएं पहले से ही मौजूद हैं और अब परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अगले पांच साल भारत के 2047 तक एक विकसित देश बनने की नींव रखेंगे। अगले पांच वर्षों में अन्य विनिर्माण के पूर्ण स्पेक्ट्रम, शिक्षा के माध्यम से उत्थान व स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाषा

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता बकाया राशि रु. 1648773/-संपत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर

अडतालीस हजार सात

सौ तिहत्तर रुपये

07.02.2024 को

अतिरिक्त ब्याज और

आकस्मिक व्यय.

लागत आदि के साथ

देय

ऋण खाता सं.

तथा राशि

₹. 26,53,620/-

्रमपये छब्बीस लाख

तिरपन हजार छह सौ

बीस मात्र)

रु. 1816928/-

(रुपये अट्टारह लाख

सोलह हजार नौ सौ

अट्टाईस मात्र)

07.02.2024 तक

अतिरिक्त ब्याज और

आकस्मिक व्यय,

लागत आदि के साथ

देय

ऋण संख्या एवं

ऋण राशि

रु. 1959957/-

(रुपये उन्नीस लाख

उनसठ हजार नौ सौ

सत्तावन मात्र)

ऋण खाता संख्या SHLHJABL0000109 1. श्री हीरा लाल पत्र विश्राम एवं 2. श्रीमती सोना बाई पत्नी श्री हीरा लाल भाटा, खेरमाई मंदिर के पास, दीन दयाल वार्ड दिवाकर मेडिकल के पास जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश भारत ४८२००१

की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

इसके अलावा - प्लॉट नं. 98 एवं 99, बंदोबस्त नंबर 502 का भाग, पटवारी हल्का नंबर 23/79, ग्राम कठौंदा, न्यू एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 74, तहसील पुराना पनागर, न्यू अधारताल, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश 482004

एनपीए तिथि - 03.02.2024

SHRIRMM

मांग सुचना की तिथि : 09.02.2024 ऋण खाता संख्या SHLHJABL0000114

1. श्री मोहम्मद जाबिर पुत्र मो. याकूब और 2. श्री मोहम्मद याकूब पुत्र इमाम बख्श 3. श्रीमती शबीना बेगा पताः मकान नं.-2466. अरफाबाद राजा चौक वार्ड 51 रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, राजा चौक

अरफाबाद मस्जिद के पास, जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश 482002 इसके अलावा -1 - प्लॉट नंबर 37, एन बी नंबर 502 का हिस्सा, पटवारी हल्का नंबर 23/79, ग्राम कठौंदा, आर.एन.एम महाराजपुर न्यू माढ़ोताल, नगर निगम जबलपुर, पुराना दादा ठनथन पाल वार्ड नंबर 72, न्यू एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक ७४, तहसील |पुराना पनागर, न्यू अधारताल, जिला जबलपुर,

2- मोहम्मद जाबिर वुडेन फर्निचर वर्क्स रजा चौक रवीन्द्र नाथ टैगोर वार्ड जबलपुर रजा चौक के पास जबलपुर शहर जबलपुर मध्य प्रदेश 482002

एनपीए तिथि - 03-02-2024

मध्य प्रदेश ४८२००

दक्षिण: पांडेजी की भूमि मांग सूचना की तिथि : 09-02-2024 उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत

कुपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभत लेनदार की पूर्व सहमित के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभृत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभृत आस्तियों के

स्थान : भोपाल दिनांक : 23.02.2024

ह./ अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

किसानों के प्रदर्शन का गेहूं की खरीद पर असर नहीं

संजीब मुखर्जी नई दिल्ली, 22 फरवरी

खाद्य मंत्रालय को उम्मीद है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ गतिरोध नई फसल की खरीद से

पहले ही सुलझा लिया जाएगा।

आमतौर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती है। हालांकि सरकार ने आगामी सत्र के लिए किसानों को अग्रिम तारीख से पहले ही खरीदने की इजाजत दे दी है। इसके बाद कई राज्य खरीद 1 मार्च से 15 मार्च के बीच पूरी करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती थी।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वह 1 मार्च से खरीद शुरू करेगी।' उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के जारी विरोध प्रदर्शन से खरीद प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

दिल्ली की सीमा के आसपास प्रदर्शन हिस्सा ले रहे ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। इन दोनों राज्यों का गेहूं के केंद्रीय पुल में सबसे बड़ा योगदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में शामिल बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वह 1 मार्च से खरीद शुरू करेगी

उन्होंने कहा, 'आपको कई मुद्दों पर

अलग देशों के समह मिलेंगे और

आपको लंबे समय तक एक बिंदु पर

पहुंचने तक उनके साथ रहना होगा

और इस दौरान निरंतर आगे बढ़ते

रहना होगा।'तंजानिया के विदेश

है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है। चोपड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने

आंदोलन कर रहे किसानों को प्रस्ताव दिया है। गेहूं की फसल बेहतरीन है और अभी इस पर पहले से मौसम गर्म होने का कोई प्रभाव नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि आने वाले 10-15 दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहता है तो अच्छी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार ने 2024 में 11.4 करोड़ टन सालाना गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगले कुछ दिनों में किसानों से गेहूं की खरीद का लक्ष्य भी तय हो जाएगा। खाद्य सचिव चोपड़ा ने कहा, 'इस सीजन में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहं खरीद बढने की संभावना है। हम उन इलाकों में ज्यादा खरीद केंद्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं जहां गेहूं की आवक व उत्पादन ज्यादा हो।'

उन्होंने बताया कि आटा भारत लॉन्च किए जाने के कारण आटे के भाव स्थिर रहे हैं।

अंतिम स्तर पर महंगाई बने रहने की चिंता ने सदस्यों को रखा सतर्क

मनोजित साहा मुंबई, 22 फरवरी


भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से ज्यादातर ने महंगाई दर से बचाव के कदम पीछे न खींचने का फैसला किया। गुरुवार को जारी फरवरी की मौद्रिक नीति के बैठक के ब्योरे से

पता चलता है कि सदस्यों का मानना

था कि 4 प्रतिशत महंगाई दर का लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियां बनी हुई हैं।नीतिगत दर तय करने वाली समिति ने रीपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए उसे लगातार छठी बैठक में 6.5 प्रतिशत बरकरार रखा है। साथ ही समावेशी रुख की वापसी बरकरार रखी गई है। जयंत वर्मा को छोड़कर सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रस्तावों के पक्ष में मतदान

किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'इस मोड पर मौद्रिक नीति सतर्क रहनी चाहिए और हमें यह नहीं मानना चाहिए कि महंगाई दर के के मोर्चे पर काम खत्म हो गया है।' दास ने कहा, 'हमें अंतिम स्तर पर महंगाई में सफलतापूर्वक कमी लाने की प्रतिबद्धता पर बने रहने की जरूरत है, जो मुश्किल हो सकती है।

बीएस सूडोकू 4904 परिणाम संख्या 4903



1 2 6 4 5 9 7 7 4 6 3 9 5 1 8 2 2 9 5 7 8 1 3 6 4 4 5 2 8 1 7 6 3 9 9 7 8 4 3 6 2 5 1 1 6 3 5 2 9 4 7 8 5 1 7 6 4 8 9 2 3 3 8 9 1 5 2 7 4 6

6 2 4 9 7 3 8 1 5

कैसे खेलें ? हर रो, कॉलम और

3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

★★☆☆

मध्यम

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितयों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज्ञान्स स्टैंडर्ड के सभी विज्ञाप्न संविधत किसा विज्ञाप्न संविधत विज्ञाप्न संविधत किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञाप्नदाता से ही किया जाना चाहिए। मैं. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।